

(15)

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ.6(320)परि/कर/मु/2018 / 15872

जयपुर, दिनांक: 07-09-21

कार्यालय आदेश संख्या 14/2021

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कर चुकता प्रमाण पत्र (TCC) को ऑन लाईन कर सिटीजन पोर्टल पर डालने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु वाहन स्वामी द्वारा ऑन लाईन आवेदन किया जावेगा तथा विभाग द्वारा ऑनलाईन, कर चुकता प्रमाण पत्र (TCC) जारी किया जावेगा। वाहन स्वामी इस प्रमाण पत्र (सलंगन प्रारूप 'ब') को वाहन पोर्टल से डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग में ले सकेगा। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. आवेदन:- वाहन स्वामी वाहन सिटीजन पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का पंजीयन क्रमांक तथा चैसिस नम्बर दर्ज कर आवेदन करेगा। आवेदन करने पर Vahan 4.0 सॉफ्टवेयर के द्वारा 100 रुपये फीस जमा कराई जायेगी। इसका Application no. वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाईल पर SMS द्वारा सूचित होगा।
2. आवेदन का सत्यापन (Verify) :- ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित लिपिक द्वारा वाहन का कर अवधारण कर बकाया कर की मांग (यदि कोई हो) कायम की जावेगी, इसकी जांच लेखाकार से करवायेगा। लेखाकार द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा कि दर्शाई गई राशि राज कोष में जमा हो तथा कर गणना नियमानुसार हो। यदि वाहन पर कर बकाया है, तो आवेदन को Hold कर वाहन स्वामी को वाहन पोर्टल द्वारा सूचित किया जायेगा।
3. वाहन स्वामी द्वारा बकाया कर जमा कराये जाने पर उनका सत्यापन कर आवेदन को Verify कर करारधान अधिकारी को Approval हेतु अग्रप्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित लिपिक कर गणना का चार्ट तथा सलंगन प्रारूप 'अ' में आदेश पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा तथा जांच के पश्चात् लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित होने पर Approval से पूर्व करारधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा। उक्त आदेश तथा कर गणना के चार्ट को आंतरिक एवं महालेखाकार ऑडिट हो जाने तक संधारित रखेगा। ऑडिट होने के पश्चात् आक्षेप नहीं होने की स्थिति में इस रिकॉर्ड का नाशन किया जा सकेगा।
4. कर चुकता प्रमाण पत्र का जारी किया जाना (Approval):- Approval हेतु आवेदन प्राप्त होने पर करारधान अधिकारी कर गणना की जांच करेगा तथा सन्तुष्ट होने पर आवेदन को

(15/1)

Approval करेगा । यदि कराधान अधिकारी द्वारा आवेदन/कर गणना मे कोई कमी पाई जाती है तो आवेदन को Revert कर सम्बन्धित लिपिक को पुनः Verify हेतु भेजेगा ।

5. आवेदक द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र को डाउन लोड/प्रिंट किया जाना:- आवेदन के Approval होने पर वाहन स्वामी को पोर्टल द्वारा मोबाईल पर SMS भेजकर सूचित किया जावेगा तत्पश्चात् वाहन स्वामी पोर्टल से अपने वाहन के कर चुकता प्रमाण पत्र को डाउनलोड/प्रिंट कर सकेगा ।
6. विशेष:- सम्बन्धित लिपिक/लेखाकर/कराधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 'वाहन सॉफ्टवेयर पर कर गणना विभागीय नियमों के अनुरूप हो रही है। उसमे त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित किया जावे जिससे की NIC द्वारा 'वाहन सॉफ्टवेयर' में सुधार करवाया जा सकें साथ ही वाहन के कर खातों की पूर्ण जांच कर मांग कायम करेंगे तथा वाहन स्वामी को सूचित करेंगे ।

उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

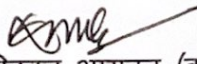

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ.6(320)परि/कर/मु./2018 /15873-878

जयपुर, दिनांक :- 07-09-21

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव ।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, परिवहन विभाग, जयपुर ।
3. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
4. सिस्टम एनालिस्ट परिवहन विभाग को विभाग की वेबसाइट एवं Vahan 4.0 सॉफ्टवेयर में NIC द्वारा अपडेट करवाने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली ।


अपर परिवहन आयुक्त (कर)

(15/12)

प्रारूप - 'अ'

कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आदेश

वाहन संख्या श्रेणी वाहन स्वामी
की कर गणना कर मांग निम्नानुसार आरोपित की गई :-

अवधि	कर का प्रकार	बकाया राशि		
		कर	शास्ति	कुल

उपरोक्त बकाया कर वाहन स्वामी द्वारा निम्नानुसार जमा करा दी गई है -

रसीद संख्या	दिनांक	बकाया राशि		
		कर	शास्ति	कुल

वाहन संख्या का आदिनांक तक का समस्त मोटरवाहन कर जमा है। वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

हस्ताक्षर
लिपिक

हस्ताक्षर
लेखाकार

हस्ताक्षर
कराधान अधिकारी